न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/49

पृथ्वी सिंह आत्मज सुजान सिंह आयु 40 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम रामराजपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. बाबूलाल आत्मज मदनलाल जाति कलाल आयु 67 वर्ष ।
2. मांगी बाई पत्नी बाबूलाल जाति कलाल आयु 57 वर्ष निवासीगण ग्राम रेलगॉव तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. पुरूषोत्तम आत्मज मोडूलाल जाति नाई निवासी ग्राम मोलखी तहसील अन्ता जिला बारां ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री ओम प्रकाश नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 15.09.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद हक घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम रेलगॉव तहसील

दीगोद में कुल 02 किता की 4.11 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि पूर्व में अप्रार्थी कम 1 व उसके भाई बनवारी लाल के शामलाती खाते में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही थी । खातेदार बनवारी लाल का 3/4 हिस्सा व अप्रार्थी कम 01 का 1/4 हिस्सा था । बनवारी लाल ने अपने हिस्से की भूमि को प्रार्थी कम 01 बाबू लाल को सन् 1990 में बेचान कर दिया । इस कारण उक्त भूमि में अप्रार्थी कम 01 का हिस्सा 1/4 व वादिनी का हिस्सा 3/4 दर्ज हुआ । अप्रार्थी कम 01 ने अपने 1/4 हिस्से की लगभग 06 बीघा भूमि में से प्रार्थी कम 2 को 03 बीघा भूमि दिनांक 01.10.1998 को प्रार्थी कम 02 को अपनी बहिन मानकर दान कर दी व 03 बीघा भूमि को प्रार्थी कम 01 को दिनांक 01.10.1998 को बेचान कर कब्जा प्रार्थीगण को सुपुर्द कर दिया तब से 1/4 हिस्से की भूमि पर प्रार्थीगण का लगातार निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है । उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का पिछले 17 वर्षों से कब्जा काश्त चला आ रहा है जिससे वे उक्त भूमि पर एडवर्स पजेशन भी प्राप्त कर चुके हैं । अप्रार्थी कम 01 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने से उसके मन में बदयान्ति आ गई है और वह उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं अन्यथा खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी में उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करे । उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को रहन, बेचान एवं अन्यथा खुर्द–बुर्द नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को लोक अदाखल में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 21.06.2018 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना अंशतः स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभयपक्ष को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.06.2018 से व्यथित होकर अप्रार्थी कम 02 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई सूचना दिये बिना अपीलान्ट के नाम कोई नोटिस जारी किये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय लोक अदालत में पारित किया है । लोक अदालत में पक्षकारान के द्वारा किसी प्रकार का कोई राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट को उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.02.2021 को उनके वकील साहब के साथ अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने व वकील साहब द्वारा पत्रावली का अवलोकन करने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की

नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 का प्रार्थना पत्र त्रुटिपूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है । अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गई थी । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.06.2018 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. परीक्षण न्यायालय में रेस्पोडेन्टगण ने हक घोषणा का दावा पेश कर धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है । पत्रावली अप्रार्थी क्रम 2 व 3 की तलबी में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में पक्षकारों में से कोई भी उपस्थित नहीं हुए और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है ।

12. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त कर सीपीसी की पालना करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.06.2018 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण को जवाबदेही का

अवसर प्रदान करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 01.11.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 15.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/9/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा